

भाग 2

संबंधित उप वन संरक्षण द्वारा भरा जाना है ।

परियोजना / स्कीम का स्थान :- लघु सिंचाई योजना ग्राम चुनार

परियोजना /स्कीम का स्थान :- लघु सिंचाई योजना ग्राम चुनार												
7												
(I)	राज्य संघ शासित क्षेत्र	(I)	मध्य प्रदेश ।									
(II)	जिला	(II)	धार जिला									
(III)	वन प्रभाग	(III)	वन मंडल (क्षेत्रीय) धार/परिक्षेत्र सरदारपुर/वन खंड - दत्तीगांव									
(अ) वन विभाग के अधिन वन भूमि :-												
	जिले का नाम	वनमण्डल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र हेक्टर में	डुब क्षेत्र का कुल रकबा					
	धार	धार	सरदारपुर	संरक्षित दत्तीगांव	428	3.940	0.59	मुख्य बांध स्थल				
					429	71.197	3.350	डुब क्षेत्र				
					430	18.000	0.603	वेस्टवेयर				
					433	2.250	70.594	डुब क्षेत्र				
							18.000	मुख्य बांध स्थल का डुब क्षेत्र				
							2.250	मुख्य बांध स्थल का डुब क्षेत्र				
							95.387	95.387				
(ब) राजस्व विभाग के अधिन वन भूमि :-												
	परिक्षेत्र का नाम		तहसील का नाम	ग्राम नाम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल हे.में						
	-		-	-	-	-						
कुल आवेदित क्षेत्रफल 95.387 हेक्टर												
(स) अन्य भूमि में												
1. शासकीय गैर वन भूमि निरंक												
2. निजी भूमि 24.335 हे.												
(IV)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हेक्टर में ।	(IV)	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनेत्तर वन भूमि का क्षेत्रफल 95.387 हेक्टर									
(V)	वन की कानुनी स्थिति ।	(V)	संरक्षित वन									
(VI)	जिला	(VI)	आवेदित वन क्षेत्र में 5 श्रेणी का उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है जो वृद्ध विहिन सागोन वन है । जिसका घनत्व 0.20 से 0.40 तक है । औसत घनत्व 0.40 से कम है ।									

(VII)	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जावे। सिंचाई/विद्युत परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल. 2 मीटर और एफ.आर.एल. 4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।	(VII)	आवेदक क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना निम्नानुसार है।	अनु क्रम	प्रजाति का स्थानीय नाम	वानस्पतिक बाटनीकल नाम
				1	सागोन	Tectona grandis
				2	नीम	Azadirachta Indica
				3	सीवन	Gmelina Aroborea
				4	बौर	Ziayphus xylopyra
				5	आम	Mangifera Indica
				6	भेड़ा	Terminalia bellerica
				7	जामुन	Syzgium Cumini
				8	बेहड़ा	Terminalia bellerica
				9	गणहरा	Cassia Fistula
				10	पतराही	Dalbergia paniculata
				11	पलास	Dalbergia paniculata
				12	बिलपत्र	Aegle Marmelos
				13	कडी	Sterculia urens
				14	बबुल	Acacia Nilotica
				15	धावड़ा	Alangium salviifolium
				16	लेन्टाना	Lantana camara
				17	खेर	Acacia Catechu
				18	कवड़ा	
				19	गोदी	Alangium salviifolium
				20	कलम	Alangium salviifolium
				21	पिपल	Ficus Lacor
				22	गुलर	Ficus Racemosa
			आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है- एफ आर एल स्तर पर 3505 एवं फूफ आर एल स्तर से 4 मीटर नीचे 1750 इस प्रकार कुल 3505 जिसकी सूची संलग्न है।			

(VII)	भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त, उपष्णी (वर्तमान भू क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वन क्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू क्षरण बाबद)	(VIII)	परियोजना के निर्माण के पश्चात् भू क्षरण कम कर भू जल स्तर बढ़ेगा । संक्षिप्त टीप संलग्न है ।
(IX)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।	(IX)	लगभग 2 कि.मी.
(X)	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि भाग है ,यदि हों तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीया अनुबंधित की जावे ।	(X)	आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि भाग नहीं है। इन क्षेत्रों की सीमा से दूरी निम्नानुसार है। 1- खरमोर अभ्यारण्य - लगभग 03 कि.मी. परिधि के अंदर 2 -डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान - 50 कि.मी.
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकाटापन्न / विशिष्ट प्रजातिया पाई जाती है। यदि हों तो तत्संबंधि ब्यौरा / विशिष्ट प्रजातिया पाई जाती है। यदि हों तो तत्संबंधि ब्यौरा दिजिये ।	(XI)	क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकाटापन्न / विशिष्ट प्रजातिया नहीं पाई जाती है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
(XII)	क्या संरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों तो तत्संबंधि ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण के साथ यदि अपेक्षित हो तो दे ।	(XII)	आवेदित क्षेत्र तथा इसके आस पास में पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग 1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्युनतम है यदि नहीं तो जाचे गये विकल्पोके ब्यारे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	8	प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्युनतम है। विकल्पो पर तुलनात्मक परीक्षण टीप संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हों,नहीं, यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारीयों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधि कार्य अभी भी चल रहे है।	9	परियोजना अन्तर्गत वर्तमान में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ना ही कोई दोषी अधिकारी है। प्रमाण - पत्र संलग्न है।

48

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा		प्रतिपूरक वनीकरण जिला धार वनमंडल (क्षेत्रीय) धार के अन्तर्गत चयनित दूगने बिगड़े वन/गैर वन			
(I)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रानिक बिगड़ा वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	(I)	जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र/वन खंड/कक्ष क्रमांक	ग्राम का नाम
			धार	(क्षेत्रीय) धार	सरदारपुर	(1) खाकरीयाघाट-खसरा सर्वे क्रमांक/76 पैकि रकबा 10.438 हेक्टर, सर्वे क्र. 153 पैकि रकबा 37.500 हेक्टर, सर्वे क्र. 169 पैकि रकबा 47.449 हेक्टर कुल रकबा 95.387 हेक्टर
(II)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधित दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी उपवन संरक्षक का प्रमाण पत्र।	(II)	वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा वन प्रबंधन की दृष्टि से यह क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु योग्य है। इस संबंध में वनमंडलाधिकारी धार, उप वनमंडलाधिकारी सरदारपुर, वनपरिक्षेत्राधिकारी सरदारपुर का प्रमाण पत्र संलग्न है।			
(III)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रानिक वन क्षेत्र ओर आस पास की वन सीमाओं का दर्शाता मैप गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे। वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मेपर से सर्वेक्षण डिजिटल मानचित्र साफ्ट कॉपी -5 हेक्टर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल पटवारी मानचित्र 16 इंच बराबर 1 मील भी संलग्न किया जावे।	(III)	डिजिटल मैप संलग्न है।			
(IV)	सात वर्षीय वृक्षारोपण, प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय, अनुमानित लागत ढांचा आदि।	(IV)	दस वर्षीय प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष से तक कुल रु लाख का व्यय संभावित है। कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा। गैर वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।			

11	उप वन संरक्षण (वनमंडलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (Xi) (Xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	11	वनमंडलाधिकारी श्री वाय. पी. सिंह (भा.व.से.) द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 17.12.16 का किया गया। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।						
12	विभाग / जिला प्रोफाइल		-						
(I)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(I)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 8153 वर्ग कि.मी. है।						
(II)	जिले का वनक्षेत्र	(II)	जिले का कुल वनक्षेत्र 1300.34 वर्ग कि.मी. है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.94 प्रतिशत है।						
(III)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनक्षेत्र प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र	(III)	अभी तक जिले में 2342.417 हेक्टर वनक्षेत्र वनक्षेत्र प्रयोग में लाया गया है।						
(IV)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण		24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक भू सर्वे से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।						
(क) खण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनक्षेत्र भूमि पर			परियोजना का नाम	जिला	दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में/समतुल्य वन क्षेत्र में (हे.मे.)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे.मे.)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मे.)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे.मे.)	योग
			1	2	3	4	5	6	7
			माही जलाशय	धार	16.416				16.416
			सरदार सरोवर	धार	2167.000				2167.000
			मोहनपुर तालाब	धार			8.642		8.642
			सिरोज तालाब	धार	2.805				2.805
			मान परियोजना	धार			4.393		4.393
			मान परियोजना नहर	धार			2.500		2.500
			भीलकुण्डा क्र. 3	धार			2.828		2.828
			कुराड़ा तालाब	धार	6.600	13.200			19.800
			घटबोरी-खनीअंबा (11 के.व्ही)	धार	0.640				0.640
			बाघ-गरडी (11 के.व्ही)	धार	1.675				1.675
			मुंबई मनमाड़ गैस पाइप लाइन	धार	25.000				25.000
			एन.एच. 3 इन्दौर खलघाट	धार	110.000				110.000
			एन.एच. 3 इन्दौर खलघाट (भौडिया)	धार	38.742				38.742
			400 के.व्ही. विद्युत लाईन खड्डा से राजगढ़	धार	16.975				16.975
			हेदरी तालाब	धार	3.723				3.723
			खनीअंबा तालाब	धार	2.500				2.500
			डोगलियापानी तालाब	धार	1.794				1.794
			एन.एच. 59 इन्दौर से गुजरात रोड	धार	22.000				22.000
			220 के. व्ही. विद्युत लाईन	धार			17.000		17.000
			थाना तालाब	धार			18.691		18.691
			765 के.व्ही. विद्युत लाईन	धार	18.100				18.100
			ओझर नाला	धार			108.000		108.000
			योग :-						2609.224
			अभी तक किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 2609.224 हे.						

(V)	(क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(M)	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।								
			परियोजना का नाम	जिला	दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में/समतुल्य वन क्षेत्र में (हे.मे.)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे.मे.)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे.मे.)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे.मे.)	लैंड बैंक के अन्तर्गत सिण्ड में (हे. मे.)	योग	रिमाक
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सरदार सरोवर परियोजना	धार	2167.000					2167.000	
			माही जलाशय	धार					16.416	16.416	
			सिरोज तालाब	धार					2.805	2.805	
			मान परियोजना	धार			4.393			4.393	
			मान परियोजना नहर	धार			2.500			2.500	
			मीलकूण्डा क्र. 3	धार			2.828			2.828	
			कुराड़दा तालाब	धार					6.600	6.600	
			बाघ-गरडी (11केही)	धार	1.675					1.675	
			मुंबई मनमाड गैस पाइप लाइन	धार	25.000					25.000	
			एन.एच. 3 इन्दौर खलघाट	धार	110.000					110.000	
			एन.एच. 3 इन्दौर खलघाट (मौडिया)	धार	38.742				17.000	38.742	
			400 के.वी. विद्युत लाईन खडवा से राजमाड	धार					3.723	17.000	
			हंदरी तालाब	धार					2.500	3.723	
			खनिअम्बा तालाब	धार					1.794	2.500	
			डोगलियापानी तालाब	धार						1.794	
			220 के. व्ही. विद्युत लाईन	धार			17.000			17.000	
			योग :-							2419.976	
			अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण 2419.976 है।								
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उप वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन से जिले राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावीत परियोजना से संभावित लाभों के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट।	13	प्रस्तावित परियोजना से लगभग 1620 हेक्टर रबी में गेहू तथा वना में सिचाई सुविधा ग्रामीणों को प्राप्त होगी। भूमि में जल स्तर की वृद्धि होगी। अतः चुनार तालाब परियोजना प्रस्ताव वन क्षेत्र में मान्य कर 95.387 हेक्टर वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृती दी जाने की अनुशंसा की जाती है।								
14	अभिमत दिया जावे यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृती पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्योरा दिया जावे।	14	परियोजना निर्माण के पश्चात वानिकी कार्य हेतु संबंधित विभाग वर्ष भर निशुल्क जल उपलब्ध करायेगा।								

तिथि:

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम साफ अक्षरों में
पदनाम
(सरकारी मोहर) के साथ